

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
Mantralaya
NOTIFICATION

0 0 /2003/C \ 2

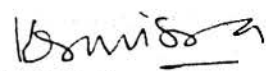
Raipur Date 1-200

In exercise of powers conferred by Section 10 of Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby exempt the class of goods specified in column (2) of the schedule below from payment of tax to the extent specified in column (3) from the publication in Official Gazette to 31.03.2004 subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the schedule.

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of Exemption	Restrictions and conditions
	(2)	(3)	(4)
	Goods as specified in clause (v) of Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956)	Whole of tax	When entered into a local area for consumption or use in the manufacture of goods.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh


(K.R. Misra,
Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
अधिसूचना

कमांक एफ/ 10-3 /2003/वाक/पांच (3) रायपुर, दिनांक 14-1-2003

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (कमांक 5 सन् 1995), में संलग्न की अनुसूची-1 की प्रविष्टि-1 की अपेक्षा के अनुसरण में एवम् इस विभाग की अधिसूचना कमांक ए-3-46-2000-विक- पाँच (52), दिनांक 17.07.2000 को संशोधित करते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित उपकरण को उक्त प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए "कृषि उपकरण" के रूप में अधिसूचित करती है :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में अनुक्रमांक 55. के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक जोड़ा जाए :-

56. पॉवर टिलर 10 अश्व शक्ति से कम
2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक

कमांक. एफ/ 10 - 3 /2003/वाक/पांच-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ/ 10 - 3 /2003/वाक/पांच (3), दिनांक 14-1-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
Mantralaya
Notification

No.F/ 10 - 3 /2003/CT/V (3)

Raipur, Dated 14-1-2003

In Pursuance of the requirement under entry-1 of Schedule-I appended to the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), and by amending this department's Notification No. A-3-46-2000-ST-V (52) dated 17.07.2000, the State Government hereby notifies the following implements as "Agricultural Implements" for the purpose of the said entry :-

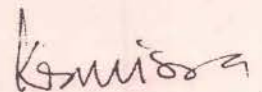
AMENDMENT

In the said notification after serial No. 55, the following serial number shall be inserted :-

56. Power Tiller below 10 horse power.

2. This amendment shall come into force from the date of publication in official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,



(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
अधिसूचना

क्रमांक एफ/ 10 / 4 / 2003 / वाक / पांच (4) रायपुर, दिनांक 16-1-2003

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल को कालम (3) में वर्णित सीमा तक कालम (4) में वर्णित अवधि के लिए कालम (5) में दिये गये निर्बधन एवं शर्तों के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करता है :-

अनुसूची

अ. क्र.	माल का विवरण	कर मुक्ति सीमा	अवधि	निर्बधन तथा शर्तें जिसके अधीन रहते हुए छूट प्रदाय की गई
1	2	3	4	5
1.	एसीएसआर कन्डक्टर, एएए कन्डक्टर एवं ट्रान्समिशन वायर	धारा 9 के अधीन संपूर्ण कर	राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से 31.03.2003	जब राज्य में स्थित अधिनियम के अंतर्गत पंजीयत औद्योगिक इकाई द्वारा संलग्न प्रारूप घोषणा के विरुद्ध पंजीकृत व्यापारी को विक्रय, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को पुनर्विक्रय के लिए किया जाए।

(५४२)

प्रारूप घोषणा

(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक के अधीन)

मैं (व्यापारी का नाम) पता छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक गृहीता, एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि, मैंने नीचे दिए गए विवरण अनुसार माल का कय (व्यवसायी का नाम तथा पता) उक्त अधिनियम के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक गृहीता से छत्तीसगढ़ राज्य विधुत मंडल को पुनर्विक्रय के लिए किया गया है।

2. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि उक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र माल के कय दिनांक का प्रभावशील था।

* कय बिल / इनवाइस / कैशमेमों / चालान का विवरण क्रमांक दिनांक	कय किये गये माल का विवरण	मात्रा	मूल्य (रु. में)
(1)	(2)	(3)	(4)

कुल मूल्य (अंकों में) रु. (शब्दों में) रुपये मात्र

स्थान :-

दिनांक :-

* जो लागू न हो उसे काट दें।

व्यवसायी के हस्ताक्षर
पदनाम

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
Mantralaya
Notification

No.F/ 10 / 4 / 2003/CT/V (4)

Raipur, Dated 16-1-2003

In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Adhiniyam to the extent specified in column (3) for the period specified in column (4), subject to the restrictions and conditions specified in column (5) of the said schedule :-

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of exemption	Period	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted
1	2	3	4	5
1.	ACSR Conductor, AAA Conductor and Transmission Wire	Whole of tax u/s 9	Form the date of publication in official Gazette to 31.03.2003	When sold by an industrial unit situated in the state and registered under the Adhiniyam to a registered dealer against a declaration in the appended form for resale to Chhattisgarh State Electricity Board.

APPENDIX
DECLARATION

(Under CTD notification No. dated :)

I (name of the dealer) of holding registration certificate number under Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam 1994, hereby declare that, I have purchased goods particulars of which have been given below from (name and address of the dealer) holding registration certificate number under the said Adhiniyam for resale to Chhattisgarh State Electricity Board.

2. I further declare that the aforesaid registration certificate was in force on the date of purchase of goods.

Particulars of goods purchased

* Particulars of bill/invoice/cash memo/challan No. Dt.	Description of goods purchased	Quantity	Value (in Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)

Total value (in figures) Rs. (in words) Rs. only

Place :

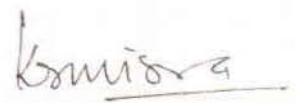
Date:

Signature

Status

* Strike out whichever is not applicable.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.



(K.R. Misra)

Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
अधिसूचना

क्रमांक एफ/10/6 /2003/वाक/पांच (6) रायपुर, दिनांक 20.1.2003

चूँकि राज्य शासन के विचार से छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर नियम, 1995 में संशोधन करना एवं तत्काल प्रवृत्त करना आवश्यक है ;

अतएव छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कथित नियम में राज्य सरकार एतद द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त कथित नियम में, नियम 8 के उप-नियम (1) के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप 4 की वर्तमान कंडिका 3 "छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के अधीन रजिस्ट्रीकृत दो व्यापारियों के नाम तथा पते जो कारोबार की पहचान करते हैं. (पहचान पत्र संलग्न करें) के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित की जाए:-

3. (i) छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, या इसकी शाखाएं या इसके प्रतिनिधि, और
- (ii) आवेदक के व्यवसाय से संबंधित व्यवसायिक संगठन, के पहचान पत्र।

यदि आवेदक के व्यवसाय क्षेत्र में उपरोक्त संदर्भित संगठन नहीं है, तो वाणिज्यिक कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत अन्य किन्हीं दो व्यवसायियों के पहचान पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

(पहचान पत्र संलग्न करें)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 20.1.2003

क्रमांक. एफ/ 10 / 6 / 2003 / वाक / पांच-भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/ 10 / 6 / 2003 / वाक / पांच (6), दिनांक 20.1.03 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
Mantralaya
Notification

No.F/10/6/2003/CT/V(6)

Raipur, Dated 20.1.2003

Whereas, the State Government considers that the following amendment in the Chhattisgarh Commercial Tax Rules, 1995 should be made and brought in to force at once;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 80 of the Chhattisgarh Commercial Tax Act, 1994 (No. 5 of 1995) the State Government hereby makes the following further amendment in the said rules, namely:-

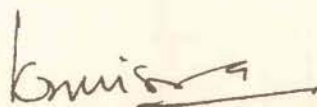
AMENDMENT

In the said rule, for existing clause 3 of Form 4 prescribed under sub-rule (1) of rule 8, "Name and address of two dealers registered under the Chhattisgarh Commercial Tax Act, 1994 identifying the business (enclose letters of identification)" the following clause shall be substituted: -

3. Letters of identification from: -
- (i) Chhattisgarh Chamber of Commerce and Industries, or its branches or its representative, and
 - (ii) Business association related to business of the applicant.

Where no organization referred to above is situated at business place of the applicant then identification letters from any other two dealers registered under the Commercial Tax Act, may be produced.
(enclose letters of identification)

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,


(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक : 22/01/2003

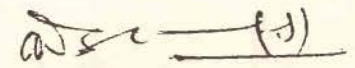
क्रमांक एफ 10/7/2003/वा.क./पांच (7) - चूँकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 एवं केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा अधिसूचना क्रमांक ए-3-14-92-वि.क.-पांच (50) दिनांक 03 जून, 1993 में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की प्रस्तावना में अंकों एवं शब्दों "11 वें वर्ष के अंत तक" के स्थान पर अंकों एवं शब्दों "16 वें वर्ष के अंत तक" को प्रतिस्थापित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



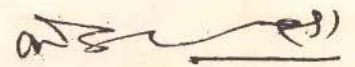
(के.आर. मिश्रा)

उप सचिव

रायपुर, दिनांक : 22/01/2003

क्रमांक एफ 10/7/2003/वा.क./पांच - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10/7/2003/वा.क./पांच (7) दिनांक 22/01/2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)

उप सचिव

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
FINANCE AND PLANNING DEPARTMENT
(COMMERCIAL TAX DEPARTMENT)
MANTRALAYA
DAU KALYAN SINGH BHAWAN, RAIPUR

NOTIFICATION

Raipur, dated : 22/01/2003

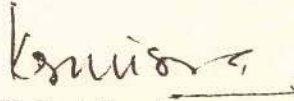
No. F-10/7/2003/CT/V/(7) - Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), and Sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby makes the following amendment in the Notification No. A-3-14-92-ST-V (50), dated 3rd June, 1993, namely :-

AMENDMENT

In the preamble to the said notification for the figures and words "upto the end of the 11th year" the figures and words "upto the end of the 16th year" shall be substituted.

By order and the name of the
Governor of Chhattisgarh,


(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
अधिसूचना

क्रमांक एफ/10 / 8 / 2003/वाक/पांच (8) रायपुर, दिनांक 29-1-2003

चूँकि राज्य शासन के विचार से छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर नियम, 1995 में संशोधन करना एवं तत्काल प्रवृत्त करना आवश्यक है ;

अतएव छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कथित नियम में राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

संशोधन

उक्त कथित नियम में,

1. नियम 40 के उपनियम (1) के परन्तुक को विलोपित किया जाए
2. नियम 42 के उपनियम (1) के अंतर्गत निर्धारित प्ररूप 41 एवं 42 में शब्दों एवं अंकों "और उक्त रकम छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर नियम, 1995 के नियम 42 (2) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर शासकीय कोषालय में भुगतान की जाएगी" के स्थान पर शब्द "और उक्त रकम शासकीय कोषालय में चालान क्रमांक दिनांक से भुगतान की जा चुकी है" संस्थापित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 29-1-2003

क्रमांक. एफ/10/8 /2003/वाक/पांच-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/10/8 /2003/वाक/पांच (8), दिनांक 29.1.03 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)

उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
Mantralaya
Notification

No.F/ 10 /8 /2003/CT/V (8)

Raipur, Dated 29-1-2003

Whereas, the State Government considers that the following amendment in the Chhattisgarh Commercial Tax Rules, 1995 should be made and brought in to force at once;

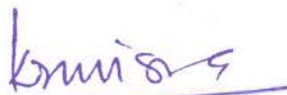
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 80 of the Chhattisgarh Commercial Tax Act, 1994 (No. 5 of 1995) the State Government hereby makes the following further amendment in the said rules, namely:-

AMENDMENT

In the said rule:-

1. Proviso of sub-rule (1) of rule 40 shall be omitted.
2. In form 41 & 42 prescribed under sub-rule (1) of rule 42, for the words and figures "and that the said amount shall be paid into the Government treasury within the period specified in rule 42 (2) of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Niyam, 1995", the words "and that the said amount has been paid vide challan No. dated " shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,


(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 31-1-2003

क्रमांक एफ-10/11/2003/वाक/पॉच(9) - चूंकि, राज्य शासन का यह समाधान हो गया है कि -

(1) निम्नलिखित व्यवसायों को कर के भुगतान से छूट की पात्रता संबंधित प्रकरण राज्य शासन, किसी समिति या फोरम के समक्ष विचाराधीन है :-

- (1) में. ग्रेवाल रोलर्स प्रा. लि., टाटीबंध, रायपुर
- (2) में. रायपुर एलॉयज एंड स्टील लि., रायपुर
- (3) में. इंडियन स्पेशीलीटी फेट्स लि. चौबे कॉलोनी, रायपुर
- (4) में. इंडियन स्पेशीलीटी फेट्स लि. यूनिट-दो, चौबे कॉलोनी, रायपुर
- (5) में. एचईजी लि., बोराई, जिला-दुर्ग
- (6) में. रायगढ़ सालवेंट एस्ट्रेक्शन प्लांट, रायगढ़
- (7) में. हनुमान माइनर आर्सेल लि., उरला इण्ड. एरिया, रायपुर
- (8) में. सुनिल स्टील, उरला इण्ड. एरिया, रायपुर
- (9) में. सिम्पलेक्स इंजीनीयरिंग एंड फाऊंड्री वर्क्स लि., यूनिट नं. 1, भिलाई
- (10) में. उडीसा कॉकरीट एंड अलाईड लि. यूनिट नं. 1, रायपुर
- (11) में. उडीसा कॉकरीट एंड अलाईड लि. यूनिट नं. 2, रायपुर
- (12) में. भारत इस्पात उद्योग, रायपुर
- (13) में. शालीमार इस्पात उद्योग, रायपुर
- (14) में. वंदना इण्ड., यूनिट-दो, रायपुर
- (15) में. मोनेट इस्पात लि., यूनिट-एक, रायपुर
- (16) में. केएन प्रोडक्ट्स, महासमुन्द
- (17) में. बीईसी फर्टीलाइजर, भिलाई
- (18) में. श्रीकेम रेजीन्स प्रा. लि., रायगढ़
- (19) में. पोरवाल टार प्रोडक्ट प्रा. लि., उरला, रायपुर
- (20) में. ए.सी.सी. लि. 25 मेगावॉट कैप्टीव थर्मल जनरेशन पॉवर प्लांट, जामुल

(2) उपरोक्त व्यवसायों की छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1994) केन्लीग तिकुग कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) के अन्तर्गत

(3) उपरोक्त सभी व्यवसायों का सही करनिर्धारण गुण-दोष के आधार पर उन्हें सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए किया जाना है;

अतः छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 27 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा उपरोक्त व्यवसायों के संबंध में उक्त अधिनियमों के अंतर्गत ऐसी प्रत्येक करनिर्धारण कार्यवाहियां जो 31 जनवरी, 2003 तक पूर्ण नहीं की जाती हैं, पूर्ण करने की अवधि 30 जून, 2003 तक बढ़ाती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 31-1-2003

क्रमांक. एफ-10/11/2003/वाक/पांच-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/11/2003/ वाक/पांच (9), दिनांक 31-1-03 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhavan, RAIPUR
NOTIFICATION

Raipur, Dated 31-1-2003

No. F-10/11/2003/CT/V(9) - Whereas, the State Government is satisfied that:-

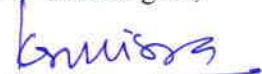
- (1) The cases regarding eligibility of exemption from payment of tax to the following dealers are under consideration before State Government, any Committee or Forum:-

- (1) M/s. Grewal Rollers Pvt. Ltd., Tatibandh, Raipur
- (2) M/s. Raipur Alloys & Steel Ltd., Raipur
- (3) M/s. Indian Speciality Fats Ltd., Choubey Colony, Raipur
- (4) M/s. Indian Speciality Fats Ltd., Unit-II, Choubey Colony, Raipur
- (5) M/s. HEG Ltd., Borai, Distt. Durg
- (6) M/s. Raigarh Solvent Extractions Plant, Raigarh
- (7) M/s. Hanuman Minor Oils Ltd., Urla Industrial Area, Raipur
- (8) M/s. Sunil Steels, Urla Industrial Area, Raipur
- (9) M/s. Simplex Engineering & Foundry Works Ltd., Unit No. 1, Bhilai
- (10) M/s. Orissa Concrete & Allied Industries Ltd., Unit No. 1, Raipur
- (11) M/s. Orissa Concrete & Allied Industries Ltd., Unit No. 2, Raipur
- (12) M/s. Bharat Ispat Udyog, Raipur
- (13) M/s. Shalimar Ispat Udyog, Raipur
- (14) M/s. Vandana Industries, Unit-II, Raipur
- (15) M/s. Monnet Ispat Ltd., Unit-I, Raipur
- (16) M/s. K.N. Products, Mahasamund
- (17) M/s. BEC Fertilizers, Bhilai
- (18) M/s. Shreechem Resins Pvt. Ltd., Raigarh
- (19) M/s. Porwal Tar Products Pvt. Ltd., Urla, Raipur
- (20) M/s. A.C.C. Ltd. 25 M.W. Captive Thermal Generation Power Plant, Jamul

- (2) The assessment proceedings of above dealers under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) and the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), due for completion by 31st January, 2003 under the provisions of sub-section (8) of section 27 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), have to be completed before 31st January, 2003.
- (3) Correct assessment of all above dealers on merits has to be made after affording them a reasonable opportunity of being heard;

Now, therefor, in exercise of the powers conferred by sub-section (9) of section 27 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby extends upto 30th June, 2003, the period for completion of every such assessment proceedings in respect of above dealers under the said Acts, which is not completed by 31st January, 2003.

By the order and in the name of Governor of Chhattisgarh,


(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
अधिसूचना

रायपुर, दिनांक ०४-०२-०३

क्रमांक एफ-१०/७८/२००२/वाक/पाँच(१०) - छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, १९९४ (क्रमांक ५ सन् १९९५) की अनुसूची दो के भाग पाँच की प्रविष्टि ४८ की अपेक्षानुसार राज्य सरकार एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-३-४५-२०००-विक-पाँच (७५) दिनांक २८.०९.२००० में निम्नानुसार संशोधन करती है :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में मालों की सूची में सरल क्रमांक १७५ की वर्तमान प्रविष्टि "महुआ बीज" के स्थान पर प्रविष्टि "चिरोंजी बीज" प्रतिस्थापित की जाए।

२. यह संशोधन दिनांक ०४.०९.२००२ से प्रभावशील माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)

उप सचिव

रायपुर, दिनांक ०४-०२-०३

क्रमांक. एफ-१०/७८/२००२/वाक/पाँच-भारत के सविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-१०/७८/२००२/वाक/पाँच(१०), दिनांक ०४-०२-०३ का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)

उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhavan, RAIPUR
NOTIFICATION

Raipur, Dated 04-02-03

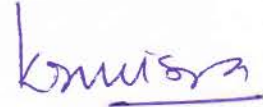
No. F-10/ 78 /200 /CT/V(10) - In pursuance of the requirement made in entry 48 of part V of Schedule II of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) the State Government hereby, amends this department's Notification No. A-3-45-2000-ST-V (75) dt. 28-09-2000, as given below :-

AMENDMENT

In the said notification in the list of goods for the existing entry of serial No. 175 "Mahua seed" the entry "Chironji seed" shall be substituted.

2. This amendment shall deemed to have come into force with effect from 04-09-2002.

By the order and in the name of Governor of Chhattisgarh,


(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
दारु कल्याण सिंह भवन, रायपुर
अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 22-03-2003

क्रमांक एफ-10/ 14 /2003/वाक/पॉच(14) - छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 22 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा निर्देशित करता है कि प्रत्येक ऐसा व्यापारी, जिसकी कुल बिक्री इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान धारा 5 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट की गई सीमाओं से अधिक हो जाती है, स्वयं को 10 फरवरी, 2001 के पूर्व पंजीयत कराएगा एवं ऐसे व्यापारी को जारी पंजीयन प्रमाण पत्र, व्यापारी के विकल्प पर, 1 नवम्बर, 2000 से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 22-03-2003

क्रमांक. एफ-10/ 14 /2003/वाक/पांच-भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/ 14 / 2003/वाक/पांच(14), दिनांक 22-03-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhavan, RAIPUR
NOTIFICATION

Raipur, Dated 22-03-2003

No. F-10/ 14 /2003/CT/V(14) - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby directs that every dealer whose turnover during the twelve month immediately preceding the commencement of this act exceeds the limit specified in sub-section (5) of Section 5 shall get himself registered before 10th February, 2001 and the registration certificate granted to such dealer shall take effect from 1st November, 2000, at the option of the dealer.

By the order and in the name of Governor of Chhattisgarh,



(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
मंत्रालय
दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 29-03-03

क्रमांक एफ-10/ 15 / 2003 / वाक / पांच / (15) - छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है -

संशोधन

1. नीचे दी गई अधिसूचनाओं में कालावधि से संबंधित अंक "2003" के स्थान पर अंक "2004" प्रतिस्थापित किए जाएं :-

अ.क्र.	अधिसूचना क्रमांक	दिनांक
1.	ए-3-22-99-विक-पॉच (56)	31.05.1999
2.	ए-3-35-99-विक-पॉच (64)	10.07.1999
3.	ए-3-10-2000-विक-पॉच (11)	21.01.2000
4.	ए-3-20-2000-विक-पॉच (20)	03.03.2000
5.	ए-3-28-2000-विक-पॉच (22)	29.03.2000
6.	ए-3-28-2000-विक-पॉच (28)	13.04.2000
7.	ए-3-28-2000-विक-पॉच (29)	13.04.2000
8.	ए-3-28-2000-विक-पॉच (30)	13.04.2000
9.	ए-3-28-2000-विक-पॉच (36)	17.04.2000
10.	ए-3-20-2000-विक-पॉच (43)	04.05.2000
11.	ए-3-80-1999-विक-पॉच (46)	26.05.2000
12.	ए-3-10-2000-विक-पॉच (54)	29.07.2000
13.	ए-3-49-2000-विक-पॉच (57)	05.08.2000
14.	ए-3-36-2000-विक-पॉच (60)	09.08.2000
15.	ए-3-53-2000-विक-पॉच (68)	24.08.2000
16.	ए-3-72-2000-विक-पॉच (78)	10.10.2000
17.	एफ-10-10-2001-वाक-पॉच (4)	30.03.2001
18.	एफ-10-258-2001-वाक-पॉच (27)	21.06.2001
19.	एफ-10-332-2001-वाक-पॉच (37)	10.08.2001
20.	एफ-10-382 / 2001 / वाक / पॉच (57)	17.10.2001

21.	एफ-10-372 / 2001 / वाक / पॉच (63)	08.11.2001
22.	एफ-10-392 / 2001 / वाक / पॉच (70)	12.11.2001
23.	एफ-10-7 / 2002 / वाक / पॉच (3)	23.01.2002
24.	एफ-10-12 / 2002 / वाक / पॉच (7)	30.01.2002
25.	एफ-10-16 / 2002 / वाक / पॉच (15)	12.02.2002
26.	एफ-10-25 / 2002 / वाक / पॉच (29)	19.03.2002
27.	एफ-10-29 / 2002 / वाक / पॉच (36)	27.03.2002
28.	एफ-10-44 / 2002 / वाक / पॉच (56)	02.05.2002
29.	एफ-10-46 / 2002 / वाक / पॉच (58)	08.05.2002
30.	एफ-10-49 / 2002 / वाक / पॉच (61)	24.05.2002
31.	एफ-10-62 / 2002 / वाक / पॉच (76)	02.07.2002
32.	एफ-10-64 / 2002 / वाक / पॉच (80)	11.07.2002
33.	एफ-10-69 / 2002 / वाक / पॉच (87)	26.07.2002
34.	एफ-10-9 / 2002 / वाक / पॉच (96)	03.09.2002
35.	एफ-10-85 / 2002 / वाक / पॉच (118)	31.12.2002
36.	एफ-10-4 / 2003 / वाक / पॉच (4)	16.01.2003

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

 (के.आर.मिश्रा)

(के.आर.मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर दिनांक 29-03-03

क्रमांक एफ-10 / 15 / 2003 / वाक / पांच / - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10 / 15 / 2003 / वाक / पांच / (15) दिनांक 29-3-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

 (के.आर.मिश्रा)

(के.आर.मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhavan, RAIPUR

NOTIFICATION

Raipur, Dated 29-3-2003

No.F-10/ 15 /2003/CT/V(15) - In exercise of Powers conferred by section 17 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam 1994 (No.5 of 1995) the state government hereby makes the following amendments:-

AMENDMENTS

1. In the notifications given below for the figure related to period "2003", the figure "2004" shall be substituted: -

<u>S.No.</u>	<u>Notification No.</u>	<u>Date</u>
1.	A-3-22-99-ST-V (56)	31.05.1999
2.	A-3-35-99-ST-V (64)	10.07.1999
3.	A-3-10-2000-ST-V (11)	21.01.2000
4.	A-3-20-2000-ST-V (20)	03.03.2000
5.	A-3-28-2000-ST-V (22)	29.03.2000
6.	A-3-28-2000-ST-V (28)	13.04.2000
7.	A-3-28-2000-ST-V (29)	13.04.2000
8.	A-3-28-2000-ST-V (30)	13.04.2000
9.	A-3-28-2000-ST-V (36)	17.04.2000
10.	A-3-20-2000-ST-V (43)	04.05.2000
11.	A-3-80-1999-ST-V (46)	26.05.2000
12.	A-3-10-2000-ST-V (54)	29.07.2000
13.	A-3-49-2000-ST-V (57)	05.08.2000
14.	A-3-36-2000-ST-V (60)	09.08.2000
15.	A-3-53-2000-ST-V (68)	24.08.2000
16.	A-3-72-2000-ST-V (78)	10.10.2000
17.	F-10-10-2001-CT-V (4)	30.03.2001
18.	F-10-258-2001-CT-V (27)	21.06.2001
19.	F-10-332-2001-CT-V (37)	10.08.2001
20.	F-10-382/2001/CT/V (57)	17.10.2001
21.	F-10-372/2001/CT/V (63)	08.11.2001
22.	F-10-392/2001/CT/V (70)	12.11.2001

23.	F-10-7/2002/CT/V (3)	23.01.2002
24.	F-10-12/2002/CT/V (7)	30.01.2002
25.	F-10-16/2002/CT/V (15)	12.02.2002
26.	F-10-25/2002/CT/V (29)	19.03.2002
27.	F-10-29/2002/CT/V (36)	27.03.2002
28.	F-10-44/2002/CT/V (56)	02.05.2002
29.	F-10-46/2002/CT/V (58)	08.05.2002
30.	F-10-49/2002/CT/V (61)	24.05.2002
31.	F-10-62/2002/CT/V (76)	02.07.2002
32.	F-10-64/2002/CT/V (80)	11.07.2002
33.	F-10-69/2002/CT/V (87)	26.07.2002
34.	F-10-9/2002/CT/V (96)	03.09.2002
35.	F-10-85/2002/CT/V (118)	31.12.2002
36.	F-10/4/2003/CT/V (4)	16.01.2003

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,


(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 03-04-2003

क्रमांक एफ-10/23/2003/वाक/पांच (24) - छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक 01 2003 से 31.03.2004 तक की अवधि के लिये उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है:-

अनुसूची

अ. क्र.	वस्तुओं की श्रेणी	छूट की सीमा
(1)	(2)	(3)
1.	अगरबत्ती एवं धूप	धारा 9 के अधीन सम्पूर्ण कर
2.	हस्त निर्मित टीन-पेटी एवं टीन-कोठी	धारा 9 के अधीन सम्पूर्ण कर
3.	हस्त निर्मित माछि -	धारा 9 के अधीन सम्पूर्ण कर
4.	फलाई-ऐश ईटें	धारा 9 के अधीन सम्पूर्ण कर
5.	ट्रेक्टर पार्ट्स एवं एसेसरीज	अशत: इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाय
6.	नेल पॉलिश जिसका विक्रय मूल्य रुपये दस से अधिक न हो।	अशत: इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाय
7.	एल्यूमिनियम एक्सट्रुडेड सेक्शन	अशत: इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाय
8.	इलेक्ट्रॉनिक सामान के पार्ट्स	अशत: इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाय

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 03-04-2003

क्रमांक. एफ-10/23/2003/वाक/पांच-भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/23/2003/वाक/पांच (24), दिनांक 3.4.03 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 03-04-2003

No. F-10/23 /2003/CT/V(24) - In exercise of powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act to the extent specified in column (3) for the period from 01.04.2003 to 31.03.2004 :-

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of Exemption
(1)	(2)	(3)
1.	Agarbatti and dhoop	Whole of tax under section 9
2.	Hand made tin-box and tin-trunk	Whole of tax under section 9
3.	Hand made matches	Whole of tax under section 9
4.	Fly-ash bricks	Whole of tax under section 9
5.	Tractor parts and accessories	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 4%
6.	Nail Polish the selling price of which does not exceed rupees ten	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 4%
7.	Aluminium extruded Sections	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 4%
8.	Parts of electronic goods	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 4%

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,


(K.R.Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 03-04-2003

क्रमांक एफ-10/23/2003/वाक/पांच (25) - छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारियों के वर्ग को 01-04-2003 से 31-03-2004 तक की अवधि के लिये उक्त अधिनियम के समस्त प्रावधानों से छूट प्रदान करती है:-

अ नु सू ची

अ.क्र.	व्यापारियों की श्रेणी
(1)	(2)
1.	व्यापारी जो पूर्णतः अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को छोड़कर व्यवसाय करते हैं। अनुक्रमांक 4,14,15 एवं 25 में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को छोड़कर व्यवसाय करते हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 03-04-2003

क्रमांक. एफ-10/23/2003/वाक/पांच-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/23/2003/वाक/पांच (25), दिनांक 3-4-03 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

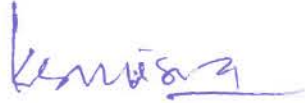
Raipur, Dated 03-04-2003

No. F-10/23 /2003/CT/V(25) - In exercise of powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby exempts the class of dealers specified in column (2) of the Schedule below from all the provisions of said Act for the period from 01.04.2003 to 31.03.2004 :-

SCHEDULE

S. No.	Class of dealers
(1)	(2)
1.	Dealers who exclusively deal in goods specified in Schedule-I except goods specified at serial no. 4, 14, 15 and 25.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,


(K.R.Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 03-04-2003

क्रमांक एफ-10/23/2003/वाक/पांच (26) - छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, :-

- (i) व्यापारी को अधिनियम की धारा 22, 23 या 24 के अंतर्गत देय पंजीयन शुल्क के भुगतान से,
- (ii) प्रत्येक परेषक जो छत्तीसगढ़ राज्य से राज्य के बाहर माल भेजता है को अधिनियम की धारा 45-क की उपधारा (5) के अधीन घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने से,

01.04.2003 से 31.03.2004 तक की कालावधि के लिए छूट प्रदान करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)

उप सचिव

रायपुर, दिनांक 03-04-2003

क्रमांक. एफ-10/23/2003/वाक/पांच-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/23/2003/वाक/पांच (26), दिनांक 3-4-03 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)

उप सचिव

**Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur**

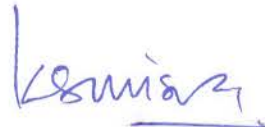
NOTIFICATION

Raipur, Dated 03-04-2003

No. F-10/ 23 /2003/CT/V(26) - In exercise of powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby exempts for the period 01.04.2003 to 31.03.2004:-

- (i) a dealer from payment of registration fee payable under Section 22, 23 or 24 of the Act.
- (ii) each consignor who sends the goods from Chhattisgarh State to outside the State from furnishing of declaration under Sub-section (5) of Section 45-A of the Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,


(K.R. Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक ०३-०४-२००३

क्रमांक एफ-१०/२३/२००३/वाक/पांच (२७) - छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, १९९४ (क्रमांक ५ सन् १९९५), की धारा १७ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (२) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कालम (३) में विनिर्दिष्ट निर्बंधन एवं शर्तों के अधीन ०१.०४.२००३ से ३१.०३.२००४ तक की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा १०-क के अधीन अधिभार के भुगतान से छूट प्रदान करती है :-

अनुसूची

अ.क्र.	माल का विवरण	निर्बंधन तथा शर्तें
१	२	३
१.	खाद्य तेल	—
२.	होजयरी	—
३.	किराना सामान	—
४.	पेकेट चाय	जब पंजीकृत व्यवसाई जो राज्य में स्थित लघु स्तरीय इकाई हो एवं उद्योग विभाग में पंजीयत हो द्वारा प्रसंस्करण/ब्लेंडिंग पश्चात् बेचा जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक ०३-०४-२००३

क्रमांक एफ-१०/२३/२००३/वाक/पांच-भारत के सविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-१०/२३/२००३/वाक/पांच (२७), दिनांक ३-५-०३ का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
Mantralaya
Dau kalyan Singh Bhawan, Raipur

Notification

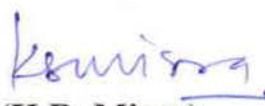
Raipur, Dated 03-04-2003

No.F-10/ 23 /2003/CT/V (27) - In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of surcharge under Section 10-A of the said Act for the period 01.04.2003 to 31.03.2004 subject to the restrictions and conditions specified in column (3) of the said schedule :-

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Restrictions and conditions
1	2	3
1.	Edible oil	-
2.	Hosiery	-
3.	Kirana goods	-
4.	Packet tea	When sold by a registered dealer after processing/ blending who is a small-scale unit situated in the state and registered in industries department.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,


(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 03-04-2003

क्रमांक एफ-10/23/2003/वाक/पांच (28) - छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक ए-3-44-2000-विक-पांच (80), दिनांक 12.10.2000 में 01.04.2003 की प्रभावशीलता से निम्नानुसार संशोधन करती है :-

संशोधन

अधिसूचना की भूमिका में शब्द "दस लाख" के स्थान पर शब्द "पच्चीस लाख" प्रतिस्थापित किया जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)

उप सचिव

रायपुर, दिनांक 03-04-2003

क्रमांक. एफ-10/23/2003/वाक/पांच-भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/23/2003/वाक/पांच (28), दिनांक 3-4-03 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)

उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 03-04-2003

No. F-10/ 23 /2003/CT/V(28) - In exercise of powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby makes the following amendments in notification No. A-3-44-2000-ST-V (80), dated 12.10.2000 with effect from 01.04.2003: -

AMENDMENT

In the preamble of the Notification, for the words "ten lacs", the words "twenty five lacs" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,



(K.R.Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
अधिसूचना

रायपुर, दिनांक ०३-०४-२००३

क्रमांक एफ-१०/२३/२००३/वाक/पांच (२९) - छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, १९९४ (क्रमांक ५ सन् १९९५), की धारा १३ की उपधारा (१) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक ए-५-१-९४-विक-पांच (२२) दिनांक ०१.०४.१९९५ में निम्नानुसार संशोधित करती है :-

संशोधन

१. अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ५ के खण्ड क्रमांक (i) के पश्चात् निम्न खण्ड को अंतर्स्थापित किया जाए:-

(ii) जब राज्य में स्थित लघु औद्योगिक ईकाई द्वारा लोहा एवं इस्पात की किसी भी श्रेणी से संबंधित माल कच्चा माल के रूप में अन्य वस्तुओं, जो लोहा एवं इस्पात की श्रेणी में समाहित न हो, के निर्माण में उपयोग में लाया जाए।

२. यह संशोधन ०१.०४.२००३ से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,


(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक ०३-०४-२००३

क्रमांक. एफ-१०/२३/२००३/वाक/पांच-भारत के सविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-१०/२३/२००३/वाक/पांच (२९), दिनांक ३-४-०३ का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,


(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 03-04-2003

No. F-10/ 23 /2003/CT/V(29) - In exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 13 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby makes the following amendment in the notification No. A-5-1-94-ST-V (22), dated 01.04.1995: -

AMENDMENT

1. In the Schedule to the notification after clause No. (i) of serial number 5, the following clause shall be inserted: -

(ii) when the goods belonging to any category of Iron and Steel are used as raw material in the manufacture of any other goods not covered by any category of Iron and Steel, by a small-scale industrial unit situated in the State. Zero Percent

2. This amendment shall come into force with effect from 01.04.2003.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,


(K.R. Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक : 04/04/2003

क्रमांक एफ-10/6/2003/वा.क./पांच (30) - चूँकि राज्य शासन के विचार से छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर नियम, 1995 में संशोधन करना एवं तत्काल प्रवृत्त करना आवश्यक है,

अतएव छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा-80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये कथित नियम में राज्य सरकार एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त कथित नियम में, नियम 8 के उप-नियम (1) के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप 4 के खण्ड 3 की वर्तमान उप-कंडिका (i) "छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज, या इसकी शाखाएं या इसके प्रतिनिधि, और" के स्थान पर निम्नलिखित उप-कंडिका प्रतिस्थापित की जाए :-

(i) छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज, या इसकी शाखाएं या इसके प्रतिनिधि या छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयत कोई भी चेम्बर ऑफ कामर्स, व्यावसायिक संघ या उद्योग संघ, और

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 04/04/2003

क्रमांक एफ-10/6/2003/वा.क./पांच - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/6/2003/वा.क./पांच (30), दिनांक 4-4-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

**Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur**

Notification

Raipur, Dated **04/04/2003**

No.F-10/ 6 /2003/CT/V (30) - Whereas, the State Government considers that the following amendment in the Chhattisgarh Commercial Tax Rules, 1995 should be made and brought in to force at once;

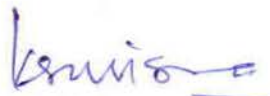
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 80 of the Chhattisgarh Commercial Tax Act, 1994 (No. 5 of 1995) the State Government hereby makes the following further amendment in the said rules, namely:-

AMENDMENT

In the said rule, for existing sub-clause (i) of clause 3 of Form 4 prescribed under sub-rule (1) of rule 8, "Chhattisgarh Chamber of Commerce and Industries, or its branches or its representative, and" the following sub-clause shall be substituted: -

(i) Chhattisgarh Chamber of Commerce and Industries, or its branches or its representative, any Chamber of Commerce, Business Association or Industries Association registered under Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960, and

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,


(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक ८-४-२००३

क्रमांक एफ-१०/२४/२००३/वाक/पांच (३१) - छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम १९९४ (क्रमांक ५ सन् १९९५) की धारा १७ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (२) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कालम (३) में विनिर्दिष्ट सीमा तक ०१.०४.१९९९ से ३१.१२.१९९९ तक की अवधि के लिये उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है:-

अनुसूची

अ. क्र.	वस्तुओं की श्रेणी	छूट की सीमा
(१)	(२)	(३)
१.	बबूल बीज एवं बबूल पाउडर	धारा ९ के अधीन सम्पूर्ण कर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,


(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक ८-४-२००३

क्रमांक. एफ-१०/२४/२००३/वाक/पांच-भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-१०/२४/२००३/वाक/पांच (३१), दिनांक ८-४-२००३ का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,


(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 08-04-2003

No. F-10/24/2003/CT/V(31) - In exercise of powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act to the extent specified in column (3) for the period from 01.04.1999 to 31.12.1999 :-

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of Exemption
(1)	(2)	(3)
1.	Babool Seed and Babool Powder	Whole of tax under section 9

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,


(K.R. Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 26-04-2003

क्रमांक एफ-10/30/2003/वाक/पांच (38) - चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव,

- (i) छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 17 एवं,
(ii) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक ए-3-32-94-विक-पांच (69), दिनांक 14 सितम्बर, 1998, में निम्नानुसार संशोधन करती है :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की प्रस्तावना में, वर्तमान खण्ड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, यथा,-

- (iv) एक उपभोक्ता औद्योगिक इकाई है, जो 31 दिसम्बर, 2001 या इसके पूर्व उत्पादन आरंभ करती है एवं जो पात्र इकाई द्वारा उत्पादित विद्युत उर्जा को पात्र इकाई द्वारा विद्युत उत्पादन आरंभ दिनांक से 6 वर्षों के भीतर उपभोग करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)

उप सचिव

रायपुर, दिनांक 26-04-2003

क्रमांक. एफ-10/30/2003/वाक/पांच-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/30/2003/वाक/पांच (38), दिनांक 26-04-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)

उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur
NOTIFICATION

Raipur, Dated 26-04-2003

No. F-10/30 /2003/CT/V(38) - Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by,-

- (i) Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), and
- (ii) Sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956),

The State Government hereby makes the following amendment in the Notification No. A-3-32-94-ST-V (69), dated 14th Sept., 1998: -

AMENDMENT

In the preamble to the said notification, for the existing clause (iv) the following clause shall be substituted, namely,-

(iv) is a consumer industrial unit, who commences commercial production on or before 31st December, 2001 and who consumes electrical energy generated by eligible unit within a period of 6 years from the date of commencement of generation of power by the eligible industrial unit.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,



(K.R.Misra)
Deputy secretary

Government of Chhattisgarh
Finance, Commercial Tax, Planning, Economic and Statistics & 20-Point
Programme Implementation Department

Mantralaya

NOTIFICATION

Raipur, Dated 27.3.2002

No.F- 10 -29/2002/CT/V(40)- In exercise of powers conferred by sub section (1) of section 4-A of Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) the state government, hereby, makes the following amendment in this departmental notification No. A-5-14-97-ST-V(78) dated 29-9-97, namely :-

AMENDMENT

In the Schedule to the said Notification in entry 1:-

(1) in column (3) the words "and furnace oil" shall be deleted w.e.f. from 1.4.2002.

(2) in column (3), (4) & (5) after entry 6 following shall be inserted :-

- | | | | |
|-------|---|--------------|-----|
| 7 | Fly-ash when entered
into local area from any
place outside the
state of Chhattisgarh | 1.4.2002 | 10% |
| 8 (I) | Furnace oil when entered
for power generating sets,
in Borai, Jamul, Arasgeta, Rambod,
Tifra, Darramura, Bhupdevpur,
Rwan, Sonadih, Rawan, Tekari,
Tandwa, Kundaroo and Hiramee
local areas | 1.4.2002 | 25% |
| (II) | Furnace oil when entered
for all other uses in all local
areas of Chhattisgarh state | -----do----- | 10% |

By order and in name of the Governor of Chhattisgarh.


(K.R. Misra)

Deputy Secretary

Government of Chhattisgarh
Finance, Commercial Tax, Planning Economic and Statistics & 20-Point
Programme Implementation Department

Mar. Talaya

NOTIFICATION

Raipur, Dated 27.3.2002

No.R- 10 -29/2002/CT/V(40)- In exercise of powers conferred by sub section (1) of section 4-A of Chhattisgarh Sthaneya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam , 1976 (No. 52 of 1976) the state government, hereby, makes the following amendment in this departmental notification No. A-5-14-97-ST-V(78) dated 29-9-97, namely :-

AMENDMENT

In the Schedule to the said Notification in entry 1:-

(1) in column (3) the words "and furnace oil" shall be deleted w.e.f. from 1.4.2002.

(2) in column (3), (4) & (5) after entry 6 following shall be inserted :-

7	Fly-ash when entered into local area from any place outside the state of Chhattisgarh	1.4.2002	10%
---	--	----------	-----

8 (I)	Furnace oil when entered for power generating sets in Borai, Jamul, Arasgeta, Rambod Tifra, Darramura, Bhupdevpur, Rwan, Sonadih, Rawan, Tekari, Tandwa, Kundaroo and Hiramee local areas	1.4.2002	25%
-------	---	----------	-----

(II)	Furnace oil when entered for all other uses in all local areas of Chhattisgarh state	-----do-----	10%
------	--	--------------	-----

By order and in name of the Governor of Chhattisgarh


(K.R. Misra)

Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
मंत्रालय
दारु कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक ०१-०५-२००३

क्रमांक एफ-१०/२९ /२००३/वाक/पांच (५१) - छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम १९९४ (क्रमांक ५ सन् १९९५) की धारा १७ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (२) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कालम (३) में विनिर्दिष्ट सीमा तक राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से ३१.०३.२००४ तक की अवधि के लिये उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है:-

अ नु सू ची

अ.क्र.	वस्तुओं की श्रेणी	छूट की सीमा
(१)	(२)	(३)
१.	विमानन टर्बाइन ईंधन	अशत: इस प्रकार जिससे धारा ९ के अधीन कर की दर घटकर ४ प्रतिशत हो जाय

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक ०१-०५-२००३

क्रमांक. एफ-१०/२९/२००३/वाक/पांच-भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-१०/२९ /२००३/वाक/पांच (५१), दिनांक १-५-२००३ का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 01-05-2003

No. F-10/ 29 /2003/CT/V(41) - In exercise of powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act to the extent specified in column (3) from the date of publication in official gazette to 31.03.2004 :-

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of Exemption
(1)	(2)	(3)
1.	Aviation Turbine Fuel	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 4%

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,


(K.R.Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 23-05-2003

क्रमांक एफ-10/39/2003/वाक/पांच (50) - छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 9-ख के अधीन देय कर की राशि पर धारा 10-क के अधीन देय अधिभार के भुगतान से 12.05.2003 से 31.03.2004 तक की कालावधि के लिए छूट प्रदान करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 23-05-2003

क्रमांक. एफ-10/39/2003/वाक/पांच-भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/39/2003/वाक/पांच (50), दिनांक 23-05-03 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

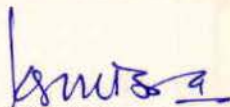
**Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
Mantralaya
Dau kalyan Singh Bhawan, Raipur**

Notification

Raipur, Dated 23-05-2003

No.F-10/ 39 /2003/CT/V (50) - In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby exempts from payment of surcharge under Section 10-A, on the amount of tax payable under Section 9-B of the said Act, for the period from 12.05.2003 to 31.03.2004.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,


(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 24/5/2003

क्रमांक एफ-10/40/2003/वाक/पांच (5) - चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है; अतएव

- (i) छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 17 एवं,
(ii) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5)

द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा विनिर्दिष्ट करती है, कि व्यवसायी जो फेरो-एलॉयज निर्माण करता है एवं अधिसूचना क्रमांक ए-3-24-94-विक-पांच (108) दिनांक 06-10-1994 के अंतर्गत पात्रता प्रमाण पत्र का धारक है, औद्योगिक इकाई को छूट की अवधि में बंद करता है एवं ऐसी इकाई में इसके पुनरुद्धार पश्चात् उत्पादन पुनः आरंभ करता है और, यदि व्यवसायी इस अधिसूचना के अंतर्गत छूट के लिए पात्रता विनिश्चित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए यह प्रमाणित करता है कि औद्योगिक इकाई को उस अवधि के लिए उसके नियंत्रण से परे कारणों के लिए बंद करना पड़ा, पात्रता अवधि समाप्त होने के तुरंत पश्चात् आरंभ होने या इकाई में इसके पुनरुद्धार पश्चात् पुनः उत्पादन आरंभ होने के दिनांक से, जो भी बाद में हो, व्यवसायी, कर की संचित मात्रा की छूट की अधिकतम सीमा के प्रावधानों के अधीन, जिस कालावधि तक औद्योगिक इकाई बंद रही, के बराबर आगे की अवधि के लिए छूट के लिए पात्र होगा।

स्पष्टीकरण- अभिव्यक्ति "उसके नियंत्रण से परे कारणों के लिए" का आशय ऐसे कारणों से है जो प्रत्येक प्रकरण के गुण के आधार पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)

उप सचिव

रायपुर, दिनांक 24/5/2003

क्रमांक. एफ-10/40/2003/वाक/पांच-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/40/2003/वाक/पांच (5), दिनांक 24/5/03 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)

उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 24/5/2003

No. F-10/ 40 /2003/CT/V(51) - Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest;

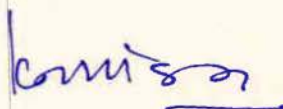
Now, therefore, in exercise of powers conferred by, -

- (i) Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), and
- (ii) Sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956),

The State Government hereby specifies that a dealer who manufactures Ferro-alloys and holds eligibility certificate under notification No. A-3-24-94-ST-V(108) dated 06-10-1994, closes down the industrial unit during the period of exemption and restarts production in such unit subsequently its revival and, if the dealer proves to the satisfaction of the authority competent to decide the eligibility for exemption under this notification that the industrial unit had to be closed down for that period for the reasons beyond his control, the dealer, subject to the provision of extent of maximum exemption of cumulative quantum of tax, shall be eligible for exemption for a further period equal to the period during which the industrial unit remained closed, commencing immediately after the expiry of the period of eligibility or from the date of restart of production in the unit after its revival, whichever is later.

Explanation - The expression "for reasons beyond his control" means the reasons which shall be decided by the State Level Committee according to the merits of each case.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,



(K.R. Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय,
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 11/06/2003

क्रमांक एफ-10/45/2003/वाक/पांच (57) - छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा नीचे अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल को कालम (3) में वर्णित सीमा तक राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 31/03/2004 तक के लिए कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :-

अनुसूची

अ.क्र.	वस्तुओं की श्रेणी	छूट की सीमा
(1)	(2)	(3)
1.	एल्यूमीनियम क्वार्ट्ज एवं एल्यूमीनियम फॉईल	धारा 9 के अंतर्गत अंशतः जिससे कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाये

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 11/06/2003

क्रमांक एफ-10/45/2003/वाक/पांच-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/45/2003/वाक/पांच (57), दिनांक 11/06/2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
FINANCE AND PLANNING DEPARTMENT
(COMMERCIAL TAX DEPARTMENT)
MANTRALAYA
DAU KALYAN SINGH BHAWAN, RAIPUR

NOTIFICATION

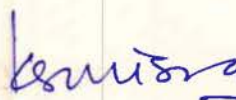
Raipur, Dated 11/06/2003

No.F-10/45/2003/CT/V(57) - In exercise of powers conferred by Section 17 of Chhattisgarh Vanijik Kar Adhiniyam, 1994 (No.5 of 1995), the State Government hereby exempt the class of goods specified in column (2) of the specified goods in column (3) from extent of exemption, from the publication in Official Gazette to 31/03/2004, of the schedule :-

SCHEDULE

S.No.	Class of goods	Extent of exemption
(1)	(2)	(3)
1.	Aluminium Coil and Aluminium Foil	Under Section 9, Partly so as to reduce the rate of tax to 4 percent

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh



(K.R.Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 18/06/2003

क्रमांक एफ-10/48/2003/वाक/पांच (59) - छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक ए-3-11-86-विक-पांच (74), दिनांक 16.10.1986 में निम्नानुसार संशोधन करती है :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक 2(vii) के कॉलम (1) में शब्दों "भाग II के परिशिष्ट I में विनिर्दिष्ट जिले में" के पश्चात् शब्दों "या दुर्ग जिले में बोरई ग्रोथ सेन्टर में" जोड़ा जाए।

2. यह संशोधन 05.12.1989 से प्रभावशील माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,


(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 18/06/2003

क्रमांक. एफ-10/48/2003/वाक/पांच-भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/48/2003/वाक/पांच (59), दिनांक 18/06/03 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,


(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 18/06/2003

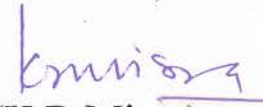
No. F-10/48 /2003/CT/V(59) - In exercise of powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby makes the following amendments in notification No. A-3-11-86-ST-V (74), dated 16.10.1986: -

AMENDMENT

In Schedule to the said Notification, in serial No.2(vii) of column (1) after the words "in a district specified in Part II of Annexure I", the words "or in Borai growth center in Durg District" shall be inserted.

2. This amendment shall deemed to have come into force with effect from 05-12-1989.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,


(K.R.Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 23/06/2003

क्रमांक एफ-10/49/2003/वाक/पांच (60) - चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, अतएव केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा, व्यवसायी द्वारा उपधारा (4) की अपेक्षाओं की पूर्ति करने पर, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधीन 01.07.2003 से 31.03.2004 तक की कालावधि के लिए कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है,-

अ नु सू ची

अ. क्र.	वस्तुओं की श्रेणी	छूट की सीमा	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	स्पंज आयरन	अंशतः इस प्रकार जिससे धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए।	जब जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड, रायगढ़ द्वारा उत्पादित एवं विक्रित हो।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)

उप सचिव

रायपुर, दिनांक 23/06/2003

क्रमांक. एफ-10/49/2003/वाक/पांच-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/49/2003/वाक/पांच (60), दिनांक 23/06/03 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)

उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 23/06/2003

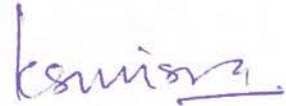
No. F-10/49 /2003/CT/V(60) - Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub section (5) of Section 8 of the Central Sales Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby, on the fulfillment of the requirements laid down in subsection (4), exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act, to the extent specified in column (3) for the period from 01.07.2003 to 31.03.2004, subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said Schedule,-

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of Exemption	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sponge Iron	Partly so as to reduce the rate of tax under sub-section (1) of Section 8 to 1 percent	When manufactured and sold by Jindal Steel & Power Limited, Raigarh.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,


(K.R. Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 30-6-2003

क्रमांक एफ-10/51/2003/वाक/पांच (62) - छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 2 के खण्ड (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक ए-5-1-94-विक-पाँच (18) दिनांक 01.04.1995 में निम्नानुसार संशोधन करती है :-

संशोधन

1. अधिसूचना में प्रविष्टि क्रमांक (उन्नीस) की निम्नलिखित प्रविष्टि को विलोपित किया जाए—
(तीन) स्टील रॉड्स के उपयोग से स्टील वायर खींचना
2. यह संशोधन 01.07.2003 से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)

उप सचिव

रायपुर, दिनांक 30-6-2003

क्रमांक. एफ-10/51/2003/वाक/पांच-भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/51/2003/वाक/पांच (62), दिनांक 30-6-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)

उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 30-6-2003

No. F-10/ 51 /2003/CT/V(62) - In exercise of powers conferred by clause (o) of Section 2 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby makes the following amendment in the notification No. A-5-1-94-ST-V (18), dated 01.04.95: -

AMENDMENT

1. In the Notification the following entry of entry No. (xix) shall be omitted -
(iii) drawing of steel wires out of steel rods;
2. This amendment shall come into force with effect from 01.07.2003.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R.Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 2-07-2003

क्रमांक एफ-10/ 11 / 2003 / वाक / पॉच(64) - चूंकि, राज्य शासन का यह समाधान हो गया है कि -

- (1) निम्नलिखित व्यवसायों को कर के भुगतान से छूट की पात्रता संबंधित प्रकरण राज्य शासन, किसी समिति या फोरम के समक्ष विचाराधीन है :-
 - (1) में. इंडियन स्पेशीलीटी फेट्स लि. चौबे कॉलोनी, रायपुर
 - (2) में. एचईजी लि., बोराई, जिला-दुर्ग
 - (3) में हनुमान माइनर आर्सेल लि., उरला इण्ड. एरिया, रायपुर
 - (4) में. सुनिल स्टील, उरला इण्ड. एरिया, रायपुर
 - (5) में. सिम्पलेक्स इंजीनीयरिंग एंड फाऊंड्री वर्क्स लि., यूनिट नं. 1, भिलाई
 - (6) में. वंदना इण्ड., यूनिट-दो, रायपुर
 - (7) में. ए.सी.सी. लि. 25 मेगावॉट कैप्टीव थर्मल जनरेशन पॉवर प्लांट, जामुल
- (2) उपरोक्त व्यवसायों की छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) एवं छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) के अंतर्गत करनिर्धारण की ऐसी कार्यवाहियां जो छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 27 की उपधारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत 30 जून, 2003 तक पूर्ण किया जाना नियत है, 30 जून, 2003 की समाप्ति के पूर्व पूर्ण किया जाना है।
- (3) उपरोक्त सभी व्यवसायों का सही करनिर्धारण गुण-दोष के आधार पर उन्हें सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए किया जाना है;

क्रमशः

अतः छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 27 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा उपरोक्त व्यवसायों के संबंध में उक्त अधिनियमों के अंतर्गत ऐसी प्रत्येक करनिर्धारण कार्यवाहियां जो 30 जून, 2003 तक पूर्ण नहीं की जाती हैं, पूर्ण करने की अवधि 30 सितम्बर, 2003 तक बढ़ाती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 2-07-2003

क्रमांक. एफ-10/ 11 / 2003 / वाक / पांच-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/ 11 / 2003 / वाक / पांच (64), दिनांक 2-07-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhavan, RAIPUR
NOTIFICATION

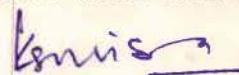
Raipur, Dated 2-07-2003

No. F-10/11/2003/CT/V(64) - Whereas, the State Government is satisfied that:-

- (1) The cases regarding eligibility of exemption from payment of tax to the following dealers are under consideration before State Government, any Committee or Forum:-
- (1) M/s. Indian Speciality Fats Ltd., Choubey Colony, Raipur
 - (2) M/s. HEG Ltd., Borai, Distt. Durg
 - (3) M/s. Hanuman Minor Oils Ltd., Urla Industrial Area, Raipur
 - (4) M/s. Sunil Steels, Urla Industrial Area, Raipur
 - (5) M/s. Simplex Engineering & Foundry Works Ltd., Unit No. 1, Bhilai
 - (6) M/s. Vandana Industries, Unit-II, Raipur
 - (7) M/s. A.C.C. Ltd. 25 M.W. Captive Thermal Generation Power Plant, Jamul
- (2) The assessment proceedings of above dealers under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) and the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), due for completion by 30th June, 2003 under the provisions of sub-section (8) of section 27 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), have to be completed before 30th June, 2003.
- (3) Correct assessment of all above dealers on merits has to be made after affording them a reasonable opportunity of being heard;

Now, therefor, in exercise of the powers conferred by sub-section (9) of section 27 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby extends upto 30th September, 2003, the period for completion of every such assessment proceedings in respect of above dealers under the said Acts, which is not completed by 30th June, 2003.

By the order and in the name of Governor of Chhattisgarh,


(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)

मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 21 जुलाई, 2003

क्रमांक एफ-10/52/2003/वाक/पाँच(65) - छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल को कालम (3) में वर्णित सीमा तक मालम (4) में वर्णित अवधि के लिए कालम (5) में दिये गये निर्बंधन एवं शर्तों के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करता है :-

अनुसूची

अ. क्र.	माल का विवरण	कर मुक्ति सीमा	अवधि	निर्बंधन तथा शर्तें जिसके अधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	मोटर वाहन—महिन्द्रा बोलेरो इनवेडर	धारा 9 के अधीन संपूर्ण कर	राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30.09.2003 तक	जबकि माल का विक्रय संलग्न प्रारूप में दिये प्रमाण पत्र के विरुद्ध छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत व्यवसाई द्वारा "समग्र मानव सेवा केन्द्र, बिलासपुर" को किया जाय।

परिशिष्ट

(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक)

(संस्था का नाम) का
मैं (नाम व पद/हैसियत)
पता
यह घोषणा करता हूँ कि निम्नलिखित माल मेरे द्वारा अधिनियम के तहत
..... पंजीयत क्रमांक धारक (व्यवसायी का नाम व पता)
..... से क्रय किया गया है।

क्रय माल का विवरण

क्रय आदेश/बिल/ बीजक/ कैश मेमो/ चालान का विवरण		क्रय किए गए माल का विवरण	मात्रा	कीमत रुपये
क्रमांक	दिनांक			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

कुल कीमत (अंकों में) रुपये (शब्दों में) रुपये
केवल

स्थान

दिनांक

क्रेता के हस्ताक्षर सील एवं हैसियत सहित

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)

उप सचिव

रायपुर, दिनांक

21 जुलाई, 2003

क्रमांक. एफ-10/52/2003/वाक/पांच-भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/52/2003/वाक/पांच (65), दिनांक 21/7/2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)

उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhavan, RAIPUR
NOTIFICATION

Raipur, Dated 21 July, 2003

No. F-10/ /2003/CT/V(65) - In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995, the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Adhiniyam to extent specified in column (3) for the period specified in column (4) subject to the restrictions and condition specified in column (5) of the said Schedule :-

SCHEDULE

S.No.	Class of goods	Extent of exemption	Period	Restriction and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	Motor Vehicle- Mahindra Bolero Invader	Whole of tax u/s 9	From the date of publication in official gazette to 30.09.2003	When sold by a dealer registered under the Adhiniyam to "Samagra Manav Seva Kendra, Bilaspur" against a certificate in the appended form.

APPENDIX

(Under C.T.D. Notification No. Dated)

I (Name & Designation/Status) of (Name of the institution) Address hereby certify that the goods, particulars of which have been given below, have been purchased from (Name and Address of the dealer) holding registration certificate No. under the said Adhiniyam.

Particulars of Goods purchased

Particulars of purchase order/ Bill/Invoice/Cashmemo/Challan		Description of goods purchased	Quantity	Value in Rs.
No.	Date			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

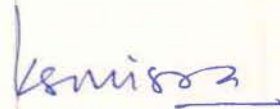
Total value (in figures) Rs. (in words)
Rs. only.

Place

Date

Signature of the purchaser with seal and Status.

By the order and in the name of Governor of Chhattisgarh,



(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

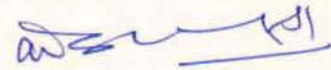
रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2003

क्रमांक एफ-10/54/2003/वाक/पांच (67) - छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 31.03.2004 तक की अवधि के लिये उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है:-

अनुसूची

अ. क्र.	वस्तुओं की श्रेणी	छूट की सीमा
(1)	(2)	(3)
1.	शीरा	अशत: इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 8 प्रतिशत हो जाय

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



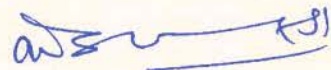
(के.आर. मिश्रा)

उप सचिव

रायपुर, दिनांक 21 जुलाई, 2003

क्रमांक. एफ-10/54/2003/वाक/पांच-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/54/2003/वाक/पांच (67), दिनांक 21/7/2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)

उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 21 July 2003

No. F-10/54 /2003/CT/V(67) - In exercise of powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act to the extent specified in column (3) for the period from the date of publication in official gazette to 31.03.2004 :-

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of Exemption
(1)	(2)	(3)
1.	Molasses	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 8 percent

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R.Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 26/7/2003

क्रमांक एफ-10/58/2003/वाक/पांच (70) - छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियां को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को 01.08.2003 से 31.03.2004 तक की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अधीन अधिभार के भुगतान से छूट प्रदान करती है :-

अनुसूची

अ.क्र.	माल का विवरण
1	2
1.	पका अन्न

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 26/7/2003

क्रमांक. एफ-10/58/2003/वाक/पांच-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/58/2003/वाक/पांच (70) दिनांक 26/7/03 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

**Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau kalyan Singh Bhawan, Raipur**

Notification

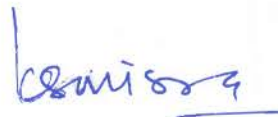
Raipur, Dated 26/07/2003

No.F-10/58 /2003/CT/V (70) - In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of surcharge under Section 10-A of the said Act for the period from 01.08.2003 to 31.03.2004.

SCHEDULE

S. No.	Class of goods
1	2
1.	Cooked food

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,


(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 31-7-2003

क्रमांक एफ-10/59/2003/वाक/पांच (71) - चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है; अतएव

- (i) छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17,
- (ii) छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 तथा
- (ii) छत्तीसगढ़ वृत्ति कर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) की धारा 6

द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द आश्रम, रायपुर को छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम की धारा 5, छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम की धारा 3 तथा छत्तीसगढ़ वृत्ति कर अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों से 01.08.2003 से 31.03.2004 तक की अवधि के लिए छूट प्रदान करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)

उप सचिव

रायपुर, दिनांक 31-7-2003

क्रमांक. एफ-10/59/2003/वाक/पांच-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/59/2003/वाक/पांच (71), दिनांक का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)

उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 31 July 2003

No. F-10/ 59 /2003/CT/V(7)) - Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by, -

- (i) Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995),
- (ii) Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), and
- (iii) Section 6 of the Chhattisgarh Vritti Kar Adhiniyam, 1995 (No. 16 of 1995)

the State Government hereby exempts Ramakrishna Mission Vivekanand Ashram, Raipur from the provisions of Section 5 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, Section 3 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam and Section 3 of the Chhattisgarh Vritti Kar Adhiniyam, for the period from 01.08.2003 to 31.03.2004.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,


(K.R. Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 06/08/2003

क्रमांक एफ-10/61/2003/वाक/पांच (73) - छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक ए-3-28-2000-विक-पांच (28), दिनांक 13.04.2000 में 01.08.2003 की प्रभावशीलता से निम्नानुसार संशोधन करती है :-

संशोधन

उपरोक्त अधिसूचना की अनुसूची में प्रविष्टि क्रमांक 49 के पश्चात निम्न प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाए:-

अ. क्र.	माल का वर्ग	छूट की सीमा	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अधीन छूट प्रदान की गई है
(1)	(2)	(3)	(4)
50.	अधिनियम में संलग्न अनुसूची II में विनिर्दिष्ट माल	धारा 9 के अधीन संपूर्ण कर	जब एक पंजीयत व्यापारी द्वारा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संस्थान को अधिकारिक उपयोग हेतु संलग्न प्रारूप में घोषणा पत्र के विरुद्ध विक्रय किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 06/08/2003

क्रमांक. एफ-10/61/2003/वाक/पांच-भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/61/2003/वाक/पांच(73), दिनांक का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 06/08/2003

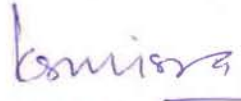
No. F-10/ 61 /2003/CT/V (73) - In exercise of powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby makes the following amendment in notification No. A-3-28-2000-ST-V (28), dated 13.04.2000 with effect from 01.08.2003 :-

AMENDMENT

In the schedule to the said notification after entry No. 49 the following entry shall be inserted: -

S. No.	Class of goods	Extent of exemption	Restrictions and Conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
50.	Goods specified in Schedule II appended to the Adhiniyam	Whole of tax under section 9	When sold by a registered dealer to the United Nation Industrial Development Organization for the purpose of official use, against the declaration in the appended form.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,


(K.R. Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)

मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 11/08/2003

क्रमांक एफ-10/51/2003/वाक/पांच (74) - छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 2 के खण्ड (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/51/2003/वाक/पांच (62) दिनांक 30.06.2003 को 01.07.2003 की प्रभावशीलता से विखंडित करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,


(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 11/08/2003

क्रमांक. एफ-10/51/2003/वाक/पांच-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/51/2003/वाक/पांच (74), दिनांक 11/8/03 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,


(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

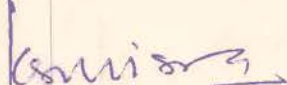
**Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur**

NOTIFICATION

Raipur, Dated 11/08/2003

No. F-10/ 51 /2003/CT/V(74) - In exercise of the powers conferred by clause (o) of Section 2 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby rescinds this department notification No. F-10/51/2003/CT/V (62), dated 30.06.2003 with effect from 01.07.2003.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,


(K.R. Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 22 / 08 / 2003

क्रमांक एफ-10/62/2003/वाक/पांच (77) - छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/392/2001/वाक/पाँच (70), दिनांक 12.11.2001, में निम्नानुसार संशोधन करती है, यथा, -

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, अनुक्रमांक 1 के सामने कालम (3) में अंक एवं शब्द "2 प्रतिशत" के स्थान पर अंक एवं शब्द "1 प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाए, एवं

2. अनुक्रमांक 2 के सामने कालम (4) (ख) में शब्दों "धारा 9 के अधीन" के पश्चात् वर्णित अंक एवं शब्द "2 प्रतिशत" के स्थान पर अंक एवं शब्द "1 प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाए, तथा शब्दों "धारा 21 के अधीन" के पश्चात् वर्णित अंक एवं शब्द "2 प्रतिशत" के स्थान पर अंक एवं शब्द "3 प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाए।

यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)

उप सचिव

रायपुर, दिनांक 22 / 08 / 2003

क्रमांक एफ-10/62/2003/वाक/पांच-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/62/2003/वाक/पांच (77), दिनांक 22 / 08 / 2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)

उप सचिव

**Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur**

NOTIFICATION

Raipur, Dated 22/08/2003

No. F-10/62/2003/CT/V (77) - In exercise of powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby makes the following amendments in this department Notification No. F-10/392/2001/CT/V (70), dated 12.11.2001, namely, -

AMENDMENT

In the Schedule to the said notification, in column (3) against serial No. 1 for the figure "2%" the figure and word "1 percent" shall be substituted, and

2. In column (4)(b) against serial No. 2 for the figure "2%" mentioned before the words "under section 9" the figure and word "1 percent" shall be substituted, and for the figure "2%" mentioned before "under section 21" the figure and word "3 percent" shall be substituted.

These amendments shall come into force from the date of publication in official gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,



**(K.R. Misra)
Deputy secretary**

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 28/08/2003

क्रमांक एफ-10/64/2003/वाक/पांच (79) - छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक 01.09.2003 से 31.03.2004 तक की अवधि के लिये उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है:-

अनुसूची

अ.क्र.	वस्तुओं की श्रेणी	छूट की सीमा
(1)	(2)	(3)
1.	सभी प्रकार का कागज	अंशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाय

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार



(के.आर. मिश्रा)

उप सचिव

रायपुर, दिनांक 28/08/2003

क्रमांक. एफ-10/64/2003/वाक/पांच-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/64/2003/वाक/पांच (79), दिनांक 28/8/03 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)

उप सचिव

**Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur**

NOTIFICATION

Raipur, Dated 28/08/2003

No. F-10/64 /2003/CT/V(79) - In exercise of powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act to the extent specified in column (3) for the period from 01.09.2003 to 31.03.2004 :-

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of Exemption
(1)	(2)	(3)
1.	All kinds of Paper	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 4%

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.


(K.R. Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)

मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर, 2003

क्रमांक एफ-10/20/2003/वाक/पांच (85) - छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 31.03.2004 तक उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अधीन अधिभार के भुगतान से छूट प्रदान करती है :-

अनुसूची

अ.क.	माल का विवरण
1	2
1.	टेलीविजन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर, 2003

क्रमांक एफ-10/20/2003/वाक/पांच-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/2003/वाक/पांच (85), दिनांक 3/9/2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

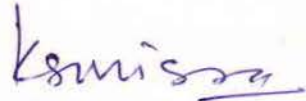
Raipur, Dated 31/12/2003

No.F-10/ 20 /2003/CT/V (85) - In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of surcharge under Section 10-A of the said Act from the date of publication in official gazette to 31.03.2004.

SCHEDULE

S. No.	Class of goods
1	2
1.	Television

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,


(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर, 2003

क्रमांक एफ-10/67/2003/वाक/पांच (88) - चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव,

- (i) छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 17 एवं,
- (ii) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक ए-3-32-94- विक-पांच (69), दिनांक 14 सितम्बर, 1998, में निम्नानुसार संशोधन करती है :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

कंडिका 7 के खण्ड (i) के उप-खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तर्स्थापित किया जाए, यथा,-

परन्तु खण्ड (i) के उप-खण्ड (क) में वर्णित शर्त उन औद्योगिक इकाईयों को लागू नहीं होगी जिन्होंने 6 अक्टूबर, 1994 या इसके पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर लिया है।

2. यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)

उप सचिव

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर, 2003

क्रमांक एफ-10/67/2003/वाक/पांच-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/67/2003/वाक/पांच (88), दिनांक 6/9/2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)

उप सचिव

**Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur**

NOTIFICATION

Raipur, Dated 6 Sept 2003

No. F-10/ 67 /2003/CT/V(88) - Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by,-

- (i) Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), and
- (ii) Sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956),

The State Government hereby makes the following amendment in the Notification No. A-3-32-94-ST-V (69) dated 14th Sept., 1998: -

AMENDMENT

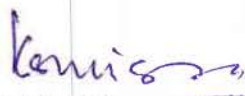
In the said notification,-

after sub-clause (a) of clause (i) of para 7, the following proviso shall be inserted, namely,-

provided that the condition mentioned in sub-clause (a) of clause (i) shall not apply to those industrial units which have commenced commercial production on or before 6th October, 1994.

2. This amendment shall come into force with effect from the date of publication in official gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,


(K.R. Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)

मंत्रालय

दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर, 2003

क्रमांक एफ-10/61/2003/वाक/पांच (91) - छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक ए-3-28-2000-विक-पाँच (28), दिनांक 13.04.2000 में राजपत्र में प्रकाशन दिनांक की प्रभावशीलता से निम्नानुसार संशोधन करती है :-

संशोधन

उपरोक्त अधिसूचना की अनुसूची में प्रविष्टि क्रमांक 50 के पश्चात निम्न प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाए:-

अ. क्र.	माल का वर्ग	छूट की सीमा	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अधीन छूट प्रदान की गई है
(1)	(2)	(3)	(4)
51.	अधिनियम में संलग्न अनुसूची II में विनिर्दिष्ट माल	धारा 9 के अधीन संपूर्ण कर	जब एक पंजीयत व्यापारी द्वारा संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम को अधिकारिक उपयोग हेतु संलग्न प्रारूप में घोषणा पत्र के विरुद्ध विक्रय किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)

उप सचिव

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर, 2003

क्रमांक. एफ-10/61/2003/वाक/पांच-भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/61/2003/ वाक/पांच(91), दिनांक 19/9/03 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)

उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 19/09/2003

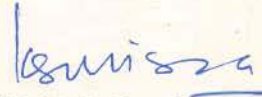
No. F-10/61 /2003/CT/V (91) - In exercise of powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby makes the following amendment in notification No. A-3-28-2000-ST-V (28), dated 13.04.2000 with effect from the date of publication in official gazette:-

AMENDMENT

In the schedule to the said notification after entry No. 50 the following entry shall be inserted: -

S. No.	Class of goods	Extent of exemption	Restrictions and Conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
51.	Goods specified in Schedule II appended to the Adhiniyam	Whole of tax under section 9	When sold by a registered dealer to the United Nations World Food Programme for the purpose of official use, against the declaration in the appended form.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,


(K.R.Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 30 सितंबर, 2003

क्रमांक एफ-10/ 11 /2002/वाक/पांच (92) - छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 27 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ-10/11/2003/वाक/पाँच (64) दिनांक 02.07.2003 में निम्नलिखित संशोधन करती है :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में अंकों एवं शब्दों 30 सितंबर, 2003 के स्थान पर अंकों एवं शब्दों 31 दिसंबर, 2003 प्रतिस्थापित किए जाएं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर.मिश्रा)

उप सचिव

रायपुर, दिनांक 30 सितंबर, 2003

क्रमांक एफ-10/ 11 /2002/वाक/पांच- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/ 11 /2002/वाक/पांच (92) दिनांक का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर.मिश्रा)

उप सचिव

**Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur**

NOTIFICATION

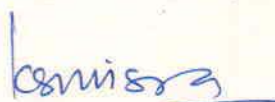
Raipur, Dated **30 Sept. 2003**

No.F-10/ **11** /2002/CT/V(**92**) - In exercise of powers conferred by Sub section (9) of section 27 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam 1994 (No. 5 of 1995) the State Government hereby makes the following amendment in the Notification No. F-10/11/2003/CT/V (64) dated 02.07.2003: -

AMENDMENT

In the said Notification for the figures and words 30th September, 2003 the figures and words 31st December, 2003 shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,



**(K.R. Misra)
Deputy secretary**

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 6-10-2003

क्रमांक एफ-10/70 /2003/वाक/पांच (54) - छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ-10-29/2002/वाक/पांच (120) दिनांक 31.12.2002 में निम्नानुसार संशोधित करती है :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में शब्दों "उपरोक्त संशोधन राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगा" के स्थान पर अंकों एवं शब्दों "उपरोक्त संशोधन 01.04.2002 से प्रभावशील माना जाएगा" प्रतिस्थापित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 6-10-2003

क्रमांक एफ-10/70 /2003/वाक/पांच-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/ 70 /2003/वाक/पांच (94), दिनांक 6-10-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

**Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur**

NOTIFICATION

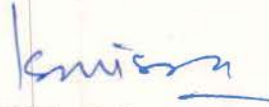
Raipur, Dated 6-10-2003

No. F-10/ 70 /2003/CT/V(94) - In exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 13 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby makes the following amendment in the Notification No. F-10-29/2002/CT/V (120), dated 31.12.2002:-

AMENDMENT

In the said notification for the words "The amendment shall come into force from the date of publication in gazette" the words and figures "The amendment shall be deemed to have come into force with effect from 01.04.2002" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.


(K.R. Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 6-10-2003

क्रमांक एफ-10/ 71 /2003/वाक/पांच (96) - छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-28-2000-विक-पांच (30), दिनांक 13.04.2000, में निम्नानुसार संशोधन करती है, यथा, -

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में -

- (i). अनुक्रमांक 1 के सामने कालम (2) में शब्दों, "प्रवर्ग (छ:) में शामिल हूप्स तथा स्ट्रीप्स" के पश्चात् शब्दों "तथा प्रवर्ग (तेरह) में शामिल फिश प्लेट बार्स एवं बेयरिंग प्लेट बार्स" को जोड़ा जाए।
- (ii). अनुक्रमांक 2 के सामने कालम (2) में शब्दों, "प्रवर्ग (छ:) में शामिल हूप्स तथा स्ट्रीप्स" के पश्चात् शब्दों "तथा प्रवर्ग (तेरह) में शामिल फिश प्लेट बार्स एवं बेयरिंग प्लेट बार्स" को जोड़ा जाए।
- (iii). अनुक्रमांक 3 के सामने कालम (2) में शब्दों, "प्रवर्ग (छ:) में शामिल हूप्स तथा स्ट्रीप्स" के पश्चात् शब्दों "तथा प्रवर्ग (तेरह) में शामिल फिश प्लेट बार्स एवं बेयरिंग प्लेट बार्स" को जोड़ा जाए।

2. यह संशोधन 16.01.2001 से प्रभावशील माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)

उप सचिव

रायपुर, दिनांक 6-10-2003

क्रमांक एफ-10/ 71 /2003/वाक/पांच-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/71 /2003/वाक/पांच (96), दिनांक 6-10-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)

उप सचिव

**Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur**

NOTIFICATION

Raipur, Dated 6-10-2003

No. F-10/ 7/ /2003/CT/V (96) - In exercise of powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby makes the following amendments in this department Notification No. A-3-28-2000-ST-V (30), dated 13.04.2000, namely, -

AMENDMENT

In the Schedule to the said notification -

- (i). In column (2) against serial No. 1 after the words "hoops and strips falling in category (vi)" the words "and fish plate bars and bearing plate bars falling in category (xiii)" shall be inserted.
- (ii). In column (2) against serial No. 2 after the words "hoops and strips falling in category (vi)" the words "and fish plate bars and bearing plate bars falling in category (xiii)" shall be inserted.
- (iii). In column (2) against serial No. 3 after the words "hoops and strips falling in category (vi)" the words "and fish plate bars and bearing plate bars falling in category (xiii)" shall be inserted.

2. These amendments shall be deemed to have come into force with effect from 16.01.2001.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,


(K.R.Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 6-10-2003

क्रमांक एफ-10/71/2003/वाक/पांच (99) - छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/392/2001/वाक/पाँच (70), दिनांक 12.11.2001, में निम्नानुसार संशोधन करती है, यथा, -

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में -

- (i). अनुक्रमांक 1 के सामने कालम (4) (क) में शब्दों, "प्रवर्ग (चार) तथा (पाँच) एवं प्रवर्ग (छः) में शामिल हूप्स तथा स्ट्रीप्स" के पश्चात् शब्दों "तथा प्रवर्ग (तेरह) में शामिल फिश प्लेट बार्स एवं बेयरिंग प्लेट बार्स" को जोड़ा जाए।
- (ii). अनुक्रमांक 2 के सामने कालम (2) में शब्दों, "प्रवर्ग (छः) में शामिल हूप्स तथा स्ट्रीप्स" के पश्चात् शब्दों "तथा प्रवर्ग (तेरह) में शामिल फिश प्लेट बार्स एवं बेयरिंग प्लेट बार्स" को जोड़ा जाए।

2 यह संशोधन 10.08.2001 से प्रभावशील माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)

उप सचिव

रायपुर, दिनांक 6-10-2003

क्रमांक एफ-10/71/2003/वाक/पांच-भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/71/2003/वाक/पांच (99), दिनांक 6-10-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)

उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 6-10-2003

No. F-10/ 71 /2003/CT/V (99) - In exercise of powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby makes the following amendments in this department Notification No. F-10/392/2001/CT/V (70), dated 12.11.2001, namely, -

AMENDMENT

In the Schedule to the said notification -

(i). In column (4)(a) against serial No. 1 after the words "goods belonging to categories (iv) and (v) and hoops and strips falling in category (vi)" the words "and fish plate bars and bearing plate bars falling in category (xiii)" shall be inserted.

(ii). In column (2) against serial No. 2 after the words "hoops and strips falling in category (vi)" the words "and fish plate bars and bearing plate bars falling in category (xiii)" shall be inserted.

2. These amendments shall be deemed to have come into force with effect from 10.08.2001.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,


(K.R.Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 6-10-2003

क्रमांक एफ-10/7/ /2003/वाक/पांच (10/) - छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निर्देशित करती है कि जहाँ केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956, की धारा 14 के खण्ड (चार) के प्रवर्ग (दो) तथा (सोलह) में वर्णित लोहा तथा इस्पात के क्रय पर छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के अंतर्गत कर प्रभारित एवं संग्रहित किया गया हो एवं यदि इसे तत्पश्चात् केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956, की धारा 14 के खण्ड (चार) के प्रवर्ग (तेरह) में वर्णित फिश प्लेट्स एवं बेयरिंग प्लेट्स के निर्माण में उपयोग किया जाता है, तब ऐसी संग्रहित कर की राशि ऐसे निर्मित उत्पाद पर छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के अंतर्गत प्रभारित होने वाली कर की राशि से कम की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 16.01.2001 से प्रभावशील मानी जाएगी तथा 31.03.2004 तक प्रभावशील रहेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)

उप सचिव

रायपुर, दिनांक 6-10-2003

क्रमांक एफ-10/7/ /2003/वाक/पांच-भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/7/ /2003/वाक/पांच (10/), दिनांक 6-10-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)

उप सचिव

**Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur**

NOTIFICATION

Raipur, Dated

No. F-10/ 71 /2003/CT/V (10/) - In exercise of powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby directs that whereon the purchase of Iron and steel as specified in categories (ii) and (xvi) of clause (iv) of Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956, tax has been levied and collected under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 and if it is subsequently used in the manufacture of fish plates and bearing plates specified in category (xiii) of clause (iv) of Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956, then the amount of tax so collected shall be reduced from the tax leviable on sale of such finished product under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 16.01.2001 and shall be inforce upto 31.03.2004.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,


(K.R. Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 29-12-2003

क्रमांक एफ-10/74 /2003/वाक/पांच (105) - चूंकि राज्य शासन का यह समाधान हो गया है कि :-

- (1) छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) एवं छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) के अंतर्गत करदायी व्यवसायों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जिनका करनिर्धारण सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा किया जाना है;
- (2) ऐसे व्यवसायों एवं उनके करनिर्धारण प्रकरणों की संख्या में हुई वृद्धि के अनुरूप ऐसे व्यवसायों का उक्त अधिनियमों के अधीन करनिर्धारण करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है;
- (3) ऐसे सभी व्यवसायों जिनकी करनिर्धारण कार्यवाहियां छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 27 की उपधारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत कलैन्डर वर्ष 2003 के अंत तक पूर्ण किया जाना नियत है, कलैन्डर वर्ष 2003 की समाप्ति के पूर्व पूर्ण किया जाना है;
- (4) ऐसे सभी व्यवसायों का सही करनिर्धारण गुण-दोष के आधार पर उक्त प्राधिकारियों द्वारा उन्हे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए किया जाना है;
- (5) उक्त प्राधिकारियों द्वारा ऐसे करनिर्धारण की कार्यवाहियों को कलैन्डर वर्ष 2003 के अंत तक पूर्ण किये जाने के प्रयासों के उपरांत भी उक्त अवधि के अंत तक ऐसी कार्यवाहियां पूर्ण किया जाना संभव नहीं है;
- (6) उपरोक्त कार्यवाहियों का पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

अमरा :

अतः छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 27 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा प्रत्येक व्यवसाई के संबंध में उक्त अधिनियमों के अंतर्गत ऐसी प्रत्येक करनिर्धारण कार्यवाहियां जो सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, वाणिज्यिक कर अधिकारियों एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों के समक्ष लंबित हो, जो 31 दिसम्बर, 2003 तक पूर्ण नहीं की जाती हैं, पूर्ण करने की अवधि 29 फरवरी, 2004 तक बढ़ाती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2003

क्रमांक एफ-10/74/2003/वाक/पांच-भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/74/2003/वाक/पांच (105), दिनांक 29/12/2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

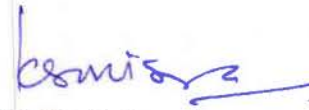
Raipur, Dated 29/12 Dec. 2003

No. F-10/ 74 /2003/CT/V(105) -Whereas, the State Government is satisfied that,-

- (I) There has been considerable increase in the number of dealers liable to pay tax under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) and the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), who are to be assessed by Assistant Commissioner of Commercial Tax, Commercial Tax Officer and Assistant Commercial Tax Officer;
- (II) There has been no increase in the number of authorities competent to make assessment of such dealers under the said Acts, commensurate with the increase in the number of such dealers and their assessment cases;
- (III) The assessment proceedings of all such dealers due for completion by the end of the calendar year 2003 under the provisions of sub-section (8) of Section 27 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), have to be completed before the expiry of the calendar year 2003;
- (IV) Correct assessment of such dealers, on merits have to be made by the said authorities after affording them a reasonable opportunity of being heard;
- (V) Despite efforts being made by the said authorities to complete such assessment proceedings by the end of the calendar year 2003 such proceedings cannot be completed by end of the said period; and
- (VI) The aforesaid proceedings need to be completed.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (9) of Section 27 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby extends upto 29th February, 2004, the period for completion of every such assessment proceedings under the said Acts in respect of every dealer pending before the Assistant Commissioner of Commercial Tax, Commercial Tax Officers and Assistant Commercial Tax Officers which is not completed by the 31st December, 2003.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,



(K.R. Misra)

Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 29-12-2003

क्रमांक एफ-10/75 /2003/वाक/पांच (106) - छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल को कालम (3) में वर्णित सीमा तक राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 31.03.2004 तक की अवधि के लिए, कालम (4) में दिये गये निर्बंधन एवं शर्तों के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करता है :-

अनुसूची

अ. क्र.	माल का विवरण	कर मुक्ति सीमा	निर्बंधन तथा शर्तें जिसके अधीन रहते हुए छूट प्रदाय की गई
1	2	3	4
1.	अधिनियम की अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट माल	धारा 9 के अधीन संपूर्ण कर	जब अधिनियम के अंतर्गत पंजीयत व्यवसाई द्वारा एक निर्यातक इकाई को संलग्न प्रारूप घोषणा के विरुद्ध इस आशय के लिए विक्रय किया जाए कि बेचा गया माल निर्यातक इकाई द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय के लिए माल के निर्माण में कच्चा माल या संवेष्टन सामग्री के रूप में उपयोग हेतु क्रय किया जा रहा है।
2.	एवीएशन टरबाइन फ्यूल तथा लुब्रीकैन्ट्स	धारा 9 के अधीन संपूर्ण कर	जब ईंधन और लुब्रीकैन्ट्स, किसी अन्य देश (भारत के अलावा) जो अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन पर सम्मेलन की पार्टी है या जिसने भारत के साथ विमान सेवा करार किया है, और भारत से या भारत में अनुसूचित या गैर-अनुसूचित अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा प्रचालित कर रहा है, में रजिस्टर्ड किसी भी विमान के भाग के रिसेप्टेकल में भरा जाए।

कुल: - 21

प्रारूप
घोषणा

(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक के अधीन)

मैं (व्यापारी का नाम) पता एक मान्यता प्राप्त निर्यातक इकाई तथा छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक गृहीता, एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि, मैंने नीचे दिए गए विवरण अनुसार माल का क्रय (व्यवसायी का नाम तथा पता) उक्त अधिनियम के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक गृहीता से भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय के लिए माल के निर्माण में कच्चा माल/संवेष्टन सामग्री के रूप में उपयोग हेतु किया गया है।

2. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि उक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र माल के क्रय दिनांक को प्रभावशील था।

* क्रय बिल/इनवाइस/ केशमेमों/चालान का विवरण क्रमांक दिनांक	क्रय किये गये माल का विवरण	मात्रा	मूल्य (रु. में)
(1)	(2)	(3)	(4)

कुल मूल्य (अंकों में) रु. (शब्दों में) रुपये मात्र

स्थान :-

दिनांक :-

.....
व्यवसायी के हस्ताक्षर
पदनाम

* जो लागू न हो उसे काट दें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,


(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 29-12-2003

क्रमांक. एफ-10/75 /2003/वाक/पांच-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/75/2003/वाक/पांच (106), दिनांक का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,


(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 29-12-2003

No.F-10/ 75 /2003/CT/V (106) - In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Adhiniyam to the extent specified in column (3) for the period from the date of publication in official Gazette to 31.03.2004, subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said schedule :-

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of exemption	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted
1	2	3	4
1.	Goods specified in Schedule-II appended to the Adhiniyam	Whole of tax u/s 9	When sold by a registered dealer under the Adhiniyam to an Export Oriented Unit against a declaration in the appended form to the effect that the goods sold or being purchased by the Export Oriented Unit for use as raw material or packing material in the manufacture of goods for sale in the course of export out of the territory of India.
2.	Aviation Turbine Fuel and Lubricants	Whole of tax u/s 9	When the fuel and lubricants filled into receptacles forming part of any aircraft registered in any other countries (other than India), which is a party to the convention on International Civil Aviation or which has entered into Air Services Agreements with India, operating a scheduled or non-scheduled international air services to or from India.

आदेश: - 21-

- 2 -

APPENDIX
DECLARATION

(Under CTD notification No. dated :)

I (name of the dealer) address, a recognised Export Oriented Unit and holding registration certificate number under Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam 1994, hereby declare that, I have purchased goods particulars of which have been given below from (name and address of the dealer) holding registration certificate number under the said Adhiniyam for use as raw material/packing material in the manufacture of goods for sale in the course of export out of the territory of India.

2. I further declare that the aforesaid registration certificate was in force on the date of purchase of goods.

Particulars of goods purchased

* Particulars of bill/invoice/cash memo/challan No. Dt.	Description of goods purchased	Quantity	Value (in Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)

Total value (in figures) Rs. (in words) Rs. only

Place :

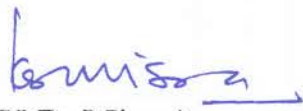
Date:

Signature

Status

* Strike out whichever is not applicable.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,


(K.R. Misra)
Deputy Secretary